<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर</u>

अपील संख्या – 14/25 GCMS NO 2025/28

1. राजाराम
2. रिन्कू पुत्रान तुलसी
3. गुडडी
4. [illegible]या
5. रेखा
6. [illegible]मनरी
7. [illegible]ली उर्फ अनीता पुत्रीयान तुलसी
8. नरोती
9. मनोहरी पुत्रान मोसरिया सभी जातियान बैरवा निवासीयान सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. राजू
3. सुरेश पुत्रान झीत्या
4. किशनवाई
5. गुडडी पुत्रियान झीत्या
6. द्वारिका
7. रामावतार पुत्रान हरि
8. हेमा पुत्री हरि
9. उगन्ती देवी पत्नि हरि सभी जातियान बैरवा निवासीयान सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 126/74 निर्णय दिनांक 18.4.75 न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री अब्दुल लतीफ

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल दिनांक 18.9.2025

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.4.75 न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण के पितागण द्वारा दावा इस्तकरार हक व [illegible] इस आशय का पेश किया कि [illegible] 682 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा एवं आराजी खसरा न0 71 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा [illegible] से पूर्व खसरा न0 खसरा न0 445 रकबा 5 विस्वा वाके [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कमश 23,687,315 रहे है। उक्त आराजीयात नानगा पांच्या लोहरे पिसरान भौजा व घसीडा पुत्र विश्नया के खाते व कब्जे काश्त की थी और अब तक वादीगण व प्रतिवादी न0 1 के शामिल मे ही काश्त होती चली आ रही है। नानगा व पांच्या व लोहरे का इन्तकाल हो गया है लेकिन फरीकेन का रिश्ता है। घसीडया पुत्र विश्नया को मौरूसी आराजीयात जो मौजा के खाते मे थी उसमे से उसको हिस्सा आराजीयात खसरा न0 401 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वा आराजी ख0न0 402 रकबा 1 विस्वा देकर उसका हिस्सा कर दिया और आराजीयात मुतवादिया से उसका कोई वास्ता नही रहा। इस तरह से आराजीयात मुतदाविया मे वादीगण व प्रतिवादी न0 1 खातेदार व हकदार रहे। वादीगण सेटलमेंट के दौरान नासमझ नाबालिंग थे और प्रतिवादी न0 1 के पास शामिल मे रहते थे और शामिल मे ही आराजीयात मुतदाविया को काश्त करते थे परन्तु अब प्रतिवादी न0 1 के दिल मे बदनियती आ गई और वह यह कहने लगा कि आराजी खसरा न0 682 व 445 मे वादीगण को हिस्सा दे सकता है आराजी खसरा न0 71 मे हिस्सा नही दूगा। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण आराजीयात मुतदाविया मे बराबर के हकदार व हिस्सेदार है। प्रतिवादी न0 1 आराजी ख0न0 71 को बय करने पर आमादा है। जबकि उसको अकेले विकय करने का अधिकार नही है। बय करने की गरज से उसमे मकान बनाना शुरू कर दिया है अतः प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई पाबंद किया जावे कि उक्त आराजीयात मे किसी किस्म की कोई तामीर ना करे और आराजीयात मुतदाविया को किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे। प्रतिवादी ने वादीगण की नाबालगी व नासमझी का फायदा उठाकर अपने हक मे ही केवल खाता कायम करवा लिया जबकि असलियत मे वादीगण व प्रतिवादी न0 1 खातेदार है इसलिए वादीगण का शमूला प्रतिवादी न0 1 हिस्सा बराबर खातेदार पाने के मुस्तहक है। इस प्रकार वादीगण को आराजीयात खसरा न0 71,682,445 का व शमूल प्रतिवादी न0 1 व हिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा अलग अलग खाता कायम कर कब्जा दिलाया जावे। तथा प्रतिवादी न0 1 को हुक्म इम्तनाई से पाबंद किया जावे कि भूमि मुतदाविया को किसी को मुन्तकिल ना करे ना किसी अन्य से करावे ना किसी अन्य को कब्जा देवे तथा किसी प्रकार का निर्माण नही करे। व शामलाती काश्त आराजीयात मे वादीगण को रूकावट पैदा नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटगण के पिता द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 मे मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र राजीनामा होने के कारण खाारिज कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण के वारिसान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय अदालत मातहत का नि[illegible] होने एवं विधि विरूद्व, आरबेटेटरी व परवरिशन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजीनामा [illegible] अपीलांटगण के पितागण व पितामह मोसरिया व तुलसीराम के प्रतिवादी रेस्पो0 [illegible] ने फर्जी हस्ताक्षर किये है जिस पर मौसरिया ने तुलसीराम के अधिवक्ता श्री महाराज [illegible] के पहचान के हस्ताक्षर नही है ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25.10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

ही राजीनामा की पुश्त पर तस्दीक राजीनामा के नीचे मौसरिया व तुलसीराम के पहचान के हस्ताक्षर अधिवक्ता श्री महाराज सिह के हस्ताक्षर नही है। यह राजीनामा रेस्पो0 के पिता व पितामह झीत्या के अधिवक्ता श्री बाबूलाल शर्मा ने साजीशी तौर पर अपीलांट के पितागण व पितामह मौसरिया व तुलसीराम की गलत तौर पर विधि प्रावधान के विपरीत पहचान राजीनामा पर दोनो पक्षों की है। जिसे वकील श्री महाराज सिह ने छिपाकर व अपीलांट के पितागण व पितामह मौसरिया व तुलसीराम से छिपाकर कूट रचित तरीके से अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह कर तस्दीक कराया है और दिनांक 18.4.75 को जैर अपील निर्णय दावा बरूये राजीनामा खारिज किये जाने का पारित किया है। यदि वास्तविक सही तौर पर राजीनामा होता तो राजीनामा पेश दिवस दिनांक 13.12.75 को ही दावा बरूये राजीनामा खारिज किया जाता है इस स्थिति से भी राजीनामा दिनांक 13.12.74 साजिशी व फर्जी होना साबित होता है ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय दिनांक 13.12.74 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय से संबंधित दावा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 71, 682,445 ग्राम सपोटरा तहसील सपोटरा अपीलांटगण व रेस्पो0 के पूर्वज नानगा, पांच्या, लोहरे,पिसरान भौजा व घसीडा पुत्र विशन्या के खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी है। जिसमे अपीलांटगण का 2/3 हिस्सा है रेस्पो0 का 1/3 हिस्सा है । दावा मे अपीलांट व रेस्पो के हक एवं हकूक खातेदारी तय होने है। रेस्पो0 के पिता व पितामह झीत्तया ने अपीलांट की भूमि को हडपने के लिए राजीनामा दिनांक 13.12.74 फर्जी कुट रचित तैयार कराकर फर्जी व साजिशी तौर पर तस्दीक कराया है और साजिशी तौर पर यह जैर अपील निर्णय पारित कराया है। जो विधि विरूद्व है। और निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 13.12.74 को प्रकरण जैर अपील निर्णय की अधिनस्थ न्यायालय मे तारीख पेशी नियत नही रही है तारीख पेशी दिनांक 30.12.74 नियत थी यदि दिनांक 13.12.74 को राजीनामा होता तब दिनांक 30.12.74 को ही दवा वादीगण अपीलांट के पितागण व पितामह का खारिज किया जाता। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 13.12.74 को कोई राजीनामा तहरीर व तस्दीक नही हुआ। और दिनांक 18.4.74 को यह सारी फर्जी कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है और निरस्त किये जाने योग्य है। और पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 14.1.25 को होने पर दिनांक 16.1.25 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नकल व राजीनामा प्राप्त होने पर जानकारी प्राप्त हुई। इससे पूर्व अपीलांट को निर्णय की जानकारी नही थी। इसलिए जानकारी के अभाव मे डिले कन्डोन माफ किये जाने योग्य है। जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.4.75 को अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि राजीनामा दिनांक 13.12.74 को पेश होकर विधिवत तस्दीक हुआ है एवं दिनांक 18.4.75 को दावा वादी मोसरिया वगै0 खारिज किया गया है। राजीनामा व निर्णय सही है। विधिवत है जिसमे फर्जी व कूटरचित होने का प्रश्न ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.4.75 अपीलांट द्वारा अपील मे कहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गये तथ्य असत्य वेग व निराधार है। अपीलांट के पितागण तुलसीराम व मोसरिया वगै0 को भी उक्त राजीनामा व निर्णय की जानकारी निर्णय के दिवस से ही रही है। राजीनामा अपीलांट के पितागण तुलसीराम ,मोसरिया ने न्यायालय मे हाजिर होकर पेश किया है। उपस्थिति मे उनके राजीनामा पत्र हस्ताक्षर है। जो न्यायालय के समक्ष हुए है। जिनका फर्जी व कूटरचित होने का प्रश्न नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से राजीनामा तस्दीक किया जाकर ही आपसी राजीनामा होने के कारण वादीगण का वाद पत्र विधिवत रूप से खारिज किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के पितागण व पितामह हो तत्समय ही हो गई थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 51 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपील को बिलम्ब से पेश करने के सबंध मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम मे किसी प्रकार का विधिक कारण का उल्लेख नही किया है केवल मात्र जानकारी का अभाव बताया गया है जबकि कानूनन बिलम्ब के दिवसो का प्रत्येक दिवस के सबंध मे स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है जो अपीलांट द्वारा नही दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने के साथ साथ धारा 5 मियाद अधिनियम से बाधित होने के कारण मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किये जाने योग्य है । जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलाटगण के पितागण एवं पितामह द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 13.12.74 को आपसी राजीनामा किया गया है जिसको अधिवक्ता द्वारा तस्दीक किया गया है एवं उसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि राजीनामा फर्जी है उक्त फर्जीयत के संबंध मे अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही किया जाना दौराने बहस अवगत नही कराया गया है ना ही फर्जीयत के सबंध मे की गई कार्यवाही बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण ही वादीगण का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 51 वर्ष पश्चात पेश की गई है जिसमे बिलम्ब के सबंध मे कानूनन प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए परन्तु अपीलांट द्वारा केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल लेने पर निर्णय की जानकारी होना अंकित किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील धारा 5 मियाद अधिनियम से बाधित होने से भी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं धारा 5 मियाद अधिनियम से बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौंली के प्रकरण संख्या 126/74 मे पारित निर्णय दिनांक 18.4.75 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner